


राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित जनपद पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा रोड चैनेज-5.924 से 5.959 गाटा सं०-821 ग्राम-ईटगांव, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत उ०प्र०, पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए पेट्रोल पम्प/ रिटेल आउटलेट के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के अन्तर्गत कुल 0.114123 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु एक वृक्ष पातन के स्थापित होने वाले स्थल से 10 कि०मी० की परिधि में कोई सेन्दुरी /वन्यजीव विहार नहीं है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
बीसलपुर (पीलीभीत)


(सजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रभागीय निदेशक
सा०वा०प्रभाग, पीलीभीत